हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय
सामान्य प्रशासन शाखा

.....

हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय कार्यकारिणी परिषद् की वर्ष 2017 की द्वितीय वि"ोष बैठक की कार्यवाही, जो दिनांक 29 जून, 2017, को पूर्वाह्न 11:00 बजे आचार्य राजिन्द्र सिंह चौहान, कुलपति की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय के समिति कक्ष में आयोजित की गई। बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुए :–

1– श्री अनिरूद्ध सिंह, माननीय विधायक प्रतिनिधि वि"वविद्यालय कोर्ट

2– आचार्य जे.बी. नड्डा, वि"वविद्यालय व्यवसाय स्कूल

3– श्रो चन्द्र शेखर, नामिती राज्य सरकार

4– आचार्य एस0एस0 चौहान, अधिष्ठाता समाज–विज्ञान संकाय

5– डॉ0 कमल कान्त, प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय, करसोग

6– श्री वेद भूषण प्रतिनिधि प्रधान सचिव(वित्त)

7– श्रीमती राज कुमारी, प्रतिनिधि गैर–f"ाक्षक कर्मचारी

8– डॉ0 (श्रीमती)"यामा जो"ी, सह–आचार्य

9– डॉ0 पंकज ललित, कुलसचिव –सदस्य–सचिव

<u>मद संख्या–1:</u> कुलपति महोदय का वक्तव्य ।

.....

कुलपति महोदय ने वि"वविद्यालय कार्यकारिणी परिषद् की वर्ष 2017 की द्वितीय वि"ोष बैठक में सभी सम्माननीय सदस्यों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनन्दन किया।

कुलपति महोदय ने सर्वप्रथम महामहिम राज्यपाल एवं कुलाधिपति, हिमाचल प्रदे"ा वि"वविद्यालय एवं माननीय मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदे"ा सरकार का आभार व्यक्त किया जिनके मार्गद"ान एवं कु"ाल नेतृत्व में उन्हें बतौर कुलपति कार्य करने का अवसर प्राप्त हुआ

है। उन्होंने कहा कि इस थोड़े से समय में उन्होंने वि”वविद्यालय में पारदर्”िाता, एकाग्रता एवं एकजुटता के साथ अपना कार्य निष्पादित किया है।

कुलपति महोदय ने कहा कि नगर निगम के चुनावों में अधिका”ा कर्मचारियों की डयूटी लगने पर वैकल्पिक प्रबन्ध किए गए तथा स्नातक तथा स्नातकोत्तर परीक्षाओं का संचालन करने के साथ–साथ समय पर अगले सत्र में प्रवे”ा के लिए छंटनी परीक्षओं का आयोजन किया गया। इसके अतिरिक्त स्नातक स्तर की परीक्षाओं के परीक्षा परिणाम समय से पहले घोषित किए गए ताकि इस वि”वविद्यालय से उतीर्ण हुए छात्र–छात्राएं पड़ौसी राज्यों में अगली कक्षाओं में प्रवे”ा के लिए आवेदन कर सकें।

कुलपति महोदय ने परिषद् को अवगत कराया कि उन्होंने अपनी इस अवधि में मानव संसाधन विकास केन्द्र द्वारा आयोजित किए गए पुन”चर्या एवं उन्मुखी कार्यक्रमों में वि”ोष व्याख्यान दिए।

उन्होंने परिषद् को यह भी अवगत कराया कि गत बैठक के बाद विश्वविद्यालय में निम्नलिखित कार्यक्रम, बैठकें, संगोष्ठियां और कार्यशालाएं आयोजित की गईः–

1. दिनांक 29 मई, 2017 को हरियाणा पत्रकार कल्याण मंच द्वारा आयोजित प्र”ािक्षण ि”ाविर के अवसर पर महामहिम राज्यपाल, हिमाचल प्रदे”ा एवं माननीय कुलाधिपति, हिमाचल प्रदे”ा वि”वविद्यालय ने इस कार्यक्रम की अध्यक्षता की।
2. दिनांक 3 जून, 2017 को राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद् के सहयोग से **पर्यावरण के प्रबन्धन एवं संबर्द्धन** पर वि”ोष व्याख्यान आयोजितकिए

गए जिसमें वि"वविद्यालय समुदाय के अतिरिक्त स्कूली छात्र–छात्राओं ने भी भाग लिया।

3. दिनांक 21 जून, 2017 को अन्तर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर योग विभाग द्वारा वि"ोष कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
4. दिनांक 21 जून, 2017 को ही राजनीति शास्त्र विभाग द्वारा लोकतांत्रिक अधिकारों के संरक्षण के लिए संघर्षरत संघ एडीआर के तत्वाधान में ''लोकतान्त्रिक मूल्यों का अस्तित्व'' विषय पर प्रो0 जगदीप सिंह चोखर का व्याख्यान आयोजित किया गया।

तत्प"चात् उन्हांने वि"वविद्यालय कुलसचिव से आग्रह किया कि वे आज की वि"ोष बैठक के लिए प्रस्तावित मदों को परिषद् के सम्मुख चर्चा एवं निर्णय के लिए प्रस्तुत करें।

मद संख्या–2: कार्यकारिणी परिषद् के समक्ष सहायक आचार्य विजुअल आर्टस (कला इतिहास में वि"ोषज्ञता)के पद पर भर्ती हेतु आयोजित चयन समिति की सिफारि"ों प्रस्तुत करने बारे।

....

सभापति ने चयन समिति की सिफारि"ा को परिषद् में प्रस्तुत किया सिफारि"ों निम्न प्रकार से हैंः–

विज्ञापन संख्याःभर्ती–11/2017 दिनांक 21–01–2017

सहायक आचार्य विजुअल आर्टस कला (इतिहास में वि"ोशज्ञता), हि0प्र0वि0, "िामला–5
(साक्षात्कार की तिथि 15–06–2017)
डॉ0 संग्राम सिंह पुत्र श्री ई"वर दास

कार्यकारिणी परिषद् ने सर्वसम्मति से चयन समिति की उपरोक्त सिफारि"ा को अनुमोदित किया।

मद संख्या–3: हिमाचल प्रदे"ा वि"वविद्यालय के गणित एवं सांख्यिकी विभाग में सांख्यिकी विषय में स्नातकोत्तर उपाधि की फीस में त्रुटि में सं"ोधन बारे।

......

कार्यकारिणी परिषद् ने गणित एवं सांख्यिकी विभाग में सांख्यिकी विषय में स्नातकोत्तर स्तर पर गैर–उपदान (Non-Subsidized) सीटों का शुल्क रू0 35,000/– वार्षिक निर्धारित करने हेतु अपनी स्वीकृति प्रदान की।

मद संख्या–4: To place before the Executive Council the matter regarding the designation/change of nomenclature of IIHS Faculty i.e. Sr. Research Officers, Research Officers and Project Officers as Assistant Professor(Selection Grade), Assistant Professor (Senior Scale) and Assistant Professor respectively.

.....

कार्यकारिणी परिषद् ने मामले पर चर्चा के उपरान्त इसे शैक्षणिक परिषद् को प्रेषित करने का निर्णय लिया। कार्यकारिणी परिषद् ने यह भी निर्णय लिया कि शैक्षणिक परिषद् की बैठक एक नि"चत समय अवधि के भीतर यथा"ीघ्र आयोजित की जाए।

मद संख्या–5: डॉ0 देविन्द्र शर्मा, सह आचार्य वाणिज्य विभाग, हि0प्र0 वि"वविद्यालय, ि"ामला–5 द्वारा वाणिज्य विभाग में आचार्य के पद पर पदोन्नति हेतु किए गए निवेदन को कार्यकारिणी परिषद् के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु।

....

कार्यकारिणी परिषद् ने विस्तृत विचार–विम"ा के उपरान्त मामले में वि"वविद्यालय विधिक सलाहकार से कानूनी पराम"ा लेकर इसे पूर्ण तथ्यों सहित पुनः कार्यकारिणी परिषद् के समक्ष प्रस्तुत करने का निर्णय लिया।

मद संख्या–6: तीन महाविद्यालयों को निरीक्षण समिति की सिफारि"ाानुसार स्थायी संबद्धता प्रदान करने बारे मामला कार्यकारिणी परिषद् के समक्ष अवलोकनार्थ एवं आगामी आदे"ाार्थ प्रस्तुत है।

......

कार्यकारिणी परिषद् ने वि”वविद्यालय अध्यादे”ा 38.5 के अनुसार गठित निरीक्षण समिति की सिफारि”ाों के अनुरूप राजकीय महाविद्यालय आनी (हरिपुर), राजकीय महाविद्यालय भोरंज (तरकवाड़ी) तथा राजकीय महाविद्यालय जुखाला को स्थायी संबद्धता प्रदान करने हेतु अपना अनुमोदन प्रदान किया।

यथा–स्थान की गई चर्चा

डॉ0 कमल कांत ने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने राजकीय महाविद्यालय, करसोग में दो विषयों में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने की घोषणा की है लेकिन इन पाठ्यक्रमों को प्रारम्भ करने के लिए वि”वविद्यालय द्वारा संबद्धता प्रदान करने हेतु निरीक्षण समिति का गठन नहीं किया गया है। जिससे इन पाठ्यक्रमों को शुरू करने में समस्या आ रही है। जिस पर कार्यकारिणी परिषद् ने निर्णय लिया कि वि”वविद्यालय उक्त स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों को प्रारम्भ करने के लिए शीघ्र निरीक्षण समिति का गठन करें ताकि करसोग महाविद्यालय में यह पाठ्यक्रम प्रारम्भ किए जा सकें।

इसके अतिरिक्त कार्यकारिणी परिषद् के सदस्यों ने वि”वविद्यालय द्वारा महाविद्यालयों को संबद्धता प्रदान करने के लिए गठित निरीक्षण समिति के निरीक्षण पर होने वाले व्यय व सदस्यों को प्रदान किए जाने वाले यात्रा भत्ते जो वर्तमान में किराए पर ली जानी वाली टैक्सी की दरों से कम प्रदान किया जा रहा है पर भी चर्चा की और कहा कि महाविद्यालयों के निरीक्षण के लिए किराये पर ली जाने वाली टैक्सी की दरें जो वर्तमान में 8–74 रूपये प्रति किलोमीटर निर्धारित है में बृद्धि की जानी चाहिए। जिस पर विस्तार से चर्चा के उपरांत कार्यकारिणी परिषद् ने निर्णय लिया कि महाविद्यालयों को संबद्धता प्रदान

करने के लिए गठित निरीक्षण समिति के निरीक्षण पर होने वाले व्यय तथा निरीक्षण के लिए किराए पर ली जाने वाली टैक्सी की दरों पर मद पूर्ण तथ्यों सहित वित्त समिति की सिफारि”ाों सहित परिषद् की अगली बैठक में प्रस्तुत की जाए।

सदस्य श्री चन्द्र”ोखर ने जन–जातीय व ग्रामीण क्षेत्रों के छात्रों को ि”ाक्षा का लाभ प्रदान करने के लिए इन क्षेत्रों में चल रहे महाविद्यालयों में स्वयं–पोषित योजना के अंतर्गत बी.बी.ए./बी.सी.ए. पाठ्यक्रम शुरू करने का मामला कार्यकारिणी परिषद् के समक्ष रखा जिस पर परिषद् द्वारा मामला राज्य सरकार से उठाने का निर्णय लिया गया।

सदस्य श्री चन्द्र”ोखर ने वि”वविद्यालय के विभिन्न विभागों/संस्थानों में स्वयं–पोषित योजना के अंतर्गत कर्मचारियों के वि”वविद्यालय की मुख्य धारा में समायोजन करने व इनके नियमितीकरण का मामला भी कार्यकारिणी परिषद् के समक्ष उठाया जिसका सदस्य श्री अनिरूद्ध सिंह ने भी समर्थन किया। सदस्यों द्वारा

उठाये गए मामले पर विस्तार से चर्चा के उपरांत कार्यकारिणी परिषद् ने इसके परीक्षण उपरांत अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु निम्न समिति का गठन कियाः–

1– आचार्य जे.बी. नड्डा –अध्यक्ष
2– आचार्य एस.एस. चौहान –सदस्य
3– श्री चन्द्र शेखर –सदस्य
4– श्रीमती राज कुमारी –समन्वयक

इसके अतिरिक्त श्री चन्द्र शेखर ने चैरिटन इस्टेट में साफ–सफाई, जल–निकासी तथा मल–निकासी की उचित व्यवस्था न होने का मामला भी कार्यकारिणी परिषद् के समक्ष उठाया और कहा कि चैरिटन इस्टेट में मल–निकासी की लाईन के ढक्कन

इत्यादि बन्द रखने की उचित व्यवस्था के साथ–साथ जल–निकासी, साफ–सफाई व चैरिटन इस्टेट को जाने बाली सड़क के रख–रखाव का भी उचित प्रबन्ध किया जाए। श्री चन्द्र”ोखर द्वारा उठाए गए उपरोक्त मामले का श्री अनिरूद्ध सिंह ने भी समर्थन किया। जिस पर कार्यकारिणी परिषद् ने निर्णय लिया कि अधि”ाासी अभियन्ता(रख–रखाव) को एक सप्ताह के भीतर चैरिटन इस्टेट में साफ–सफाई, जल–निकासी तथा मल–निकासी की उचित व्यवस्था करवाने का निर्दे”ा दिया जाए।

इसके अतिरिक्त श्री चन्द्र शेखर ने चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों जिनकी चतुर्थ श्रेणी से तृतीय श्रेणी में पदोन्नति हो जाती है पर उन्हें आबंटित आवास खाली करने और इन्हें चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को आबंटित करने का मामला उठाया। इस पर कुलपति महोदय ने परिषद् को अवगत कराया कि किसी भी श्रेणी के कर्मचारियों को आवास का आबंटन कर्मचारी की वरिष्ठता के आधार पर किया जाता है और जब तक तृतीय श्रेणी के आवास खाली न हों तब तक इन्हें तृतीय श्रेणी का आवास आंबटित नहीं किया जा सकता है। जिस पर कार्यकारिणी परिषद् ने निर्णय लिया कि मामले का परीक्षण कर इसमें नियमों के अनुरूप कार्रवाई अमल में लाई जाए।

सदस्य श्री अनिरूद्ध सिंह ने विद्यावाचस्पति उपाधि (Ph.D) छात्रों को उक्त उपाधि पूर्ण करने हेतु निर्धारित समय अवधि में वि”वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा की गई बढ़ौतरी के दृष्टिगत उन्हें बढ़ी हुई अवधि के लिए छात्रावासों में ठहरने की सुविधा प्रदान करने का मामला उठाया और कहा कि विद्यावाचस्पति उपाधि छात्रों को उनकी उपाधि पूर्ण करने के लिए निर्धारित अधिकतम समयावधि के लिए छात्रावासों में ठहरने की सुविधा प्रदान की जाए।

मामले पर विस्तार से चर्चा के उपरान्त यह निष्कर्ष निकला कि यदि विद्यावाचस्पति उपाधि कर रहे छात्रों को उक्त उपाधि पूर्ण करने के लिए निर्धारित अधिकतम समयावधि के प”चात् छात्रावासों में ठहरने की सुविधा प्रदान की जाती है तो विद्यावाचस्पति उपाधि के पंजीकृत नए छात्रों को छात्रावास में ठहरने की सुविधा उपलब्ध नहीं हो पाएगी। तदानुसार कार्यकारिणी परिषद् ने विद्यावाचस्पति उपाधि धारकों को उक्त उपाधि पूर्ण करने हेतु वर्तमान में निर्धारित समयावधि तक ही छात्रावास की सुविधा उपलब्ध करवाने का निर्णय लिया।

इसके अतिरिक्त श्री अनिरूद्ध सिंह जी ने वि”वविद्यालय में होटल प्रबन्धन पाठ्यक्रम पुनः प्रारम्भ करने का मामला भी कार्यकारिणी परिषद् के समक्ष उठाया। उन्होंन कहा कि इस पाठ्यक्रम को शुरू करने के लिए कुछ अनुदान भी वि”वविद्यालय के व्यावसायिक विभाग को प्राप्त हुआ है लेकिन अभी तक यह पाठ्यक्रम शुरू नहीं हो पाया है उन्होंने इस बात पर बल दिया कि प्रदे”ा में पर्यटन की अपार सम्भावनाएं हैं अतः वि”वविद्यालय में इस पाठ्यकम को यथा”ाीघ्र शुरू किया जाना चाहिए। इस पर माननीय कुलपति महोदय ने परिषद् को अवगत कराया कि इस पाठ्यक्रम को व्यावहारिक रूप में प्रारम्भ करने के लिए रसोई (kitchen) की अत्यन्त आव”यकता होगी जिसके लिए वि”वविद्यालय में स्थापन उपलब्ध न होने के कारण इस पाठ्यक्रम को प्रारम्भ करने में कठिनाई आ रही है।

मामले पर विस्तार से चर्चा के उपरान्त कार्यकारिणी परिषद् ने सैद्धान्तिक रूप में यह निर्णय लिया कि उपरोक्त पाठ्यक्रम में छात्रों को व्यावहारिक प्र”िाक्षण देने के लिए पर्यटन विभाग या किसी ऐसे संस्थान से सम्पर्क करना चाहिए जहां छात्रों को इस पाठ्यक्रम में व्यावहारिक प्र”िाक्षण दिया जा सके। इसके अतिरिक्त वि”वविद्यालय सांध्यकालीन महाविद्यालय में दिन के समय जब वहां पर कक्षाएं नहीं चलती हैं पर इस पाठ्यक्रम के व्यावहारिक प्र”िाक्षण प्रदान करने की सम्भावनाएं भी तला”ाी जानी चाहिएं।

आचार्य एस.एस. चौहान एवं डॉ0 कमल कान्त सदस्य कार्यकारिणी परिषद् ने परिषद् के समक्ष प्रस्तुत किया कि हिमाचल प्रदे"ा स्कूल ि"ाक्षा बोर्ड की 10+2 की अनुपूरक परीक्षाओं का परीक्षा परिणाम जो सम्भवतः 2–3 जुलाई, 2017 को घोषित होना है के कारण कई छात्र स्नातक स्तर पर प्रवे"ा लेने से वंचित रह गए हैं तथा इसके मध्यनजर महाविद्यालयों में स्नातक स्तर पर प्रवे"ा की तिथि जो 30 जून, 2017 निर्धारित की गई थी में विस्तार किया जाना चाहिए।

उपरोक्त मामले पर विस्तार से चर्चा के उपरान्त कार्यकारिणी परिषद् ने हिमाचल प्रदे"ा स्कूल ि"ाक्षा बोर्ड की 10+2 की अनुपूरक परीक्षाओं के निकट भविष्य में घोषित होने वाले परीक्षा परिणाम तथा उन अन्य छात्रों जो किन्हीं अपरिहार्य कारणों से निर्धारित तिथि में महाविद्यालयों में प्रवे"ा नहीं ले पाये हों, छात्र हित में उनके भविष्य को ध्यान में रखते हुए वि"वविद्यालय से संबद्ध महाविद्यालयों में स्नातक स्तर पर प्रवे"ा की अन्तिम तिथि जो पूर्व में 30 जून, 2017 निर्धारित की गई थी को 11 जुलाई, 2017 तक बढ़ाने हेतु अपना अनुमोदन प्रदान किया।

सदस्या श्रीमती राज कुमारी ने कार्यकारिणी परिषद् की दिनांक 24–5–2017 को हुई बैठक में वि"वविद्यालय के निर्माण मण्डल में कार्यरत कु"ाल एवं अर्द्ध कु"ाल श्रेणियों के पदों को सम्मिलित कर कार्य–निरीक्षक ग्रेड–I, ग्रेड–II व ग्रेड–III में पदनामित करने का मामला पुनः परिषद् के समक्ष रखा और कहा कि हिमाचल प्रदे"ा सरकार द्वारा उपरोक्त श्रेणियों को पदनामित करने बारे दिनांक 30–8–1997 और 27–9–2012 को जारी अधिसूचनों जिन्हें वि"वविद्यालय द्वारा पहले ही अपनाया जा चुका है और इसका केवल कियान्वयन ही शेष है अतः इसके अनुरूप उक्त श्रेणियों के पद को पदनामित कर इन अधिसूचनाओं का कियान्वयन किया जाए उन्होंने इस बात पर भी बल दिया कि मामले को पुनः वित्त समिति के समक्ष प्रस्तुत करने की आव"यकता नहीं है तथा कार्यकारिणी परिषद् द्वारा लिए गए

निर्णय को वित्त समिति में प्रतिवेदित किया जाए। इस पर विस्तृत चर्चा के उपरांत कार्यकारिणी परिषद् द्वारा अपनी बैठक दिनांक 24–5–2017 में लिए निर्णय अनुसार मामले को समस्त तथ्यों सहित वित्त समिति के समक्ष रखने का निर्णय लिया गया तथापि यह निर्णय भी लिया गया कि वि"वविद्यालय कुलसचिव व सदस्य श्री अनिरूद्ध सिंह जो वर्तमान में वित्त समिति के सदस्य हैं अतिरिक्त मुख्य सचिव (वित्त) हिमाचल प्रदे"ा सरकार से व्यक्तिगत तौर पर मिलकर मामले के उचित समाधान के लिए उनसे चर्चा करें।

अन्त में बैठक पीठ को धन्यवाद प्रस्ताव के साथ सम्पन्न हुई।

(डॉ0 पंकज ललित)
कुलसचिव
सदस्य–सचिव

पुष्टिकरण

हस्ता0 / –
(आचार्य राजिन्द्र सिंह चौहान)
कुलपति / सभापति